

कार्यालय अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

एवं

क्र. / 2014 /

दिनांक / / 2014

प्रति,

1. रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम,
2. रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
ग्राम पंचायत सचिव / पंचायत कर्मी
ग्राम पंचायत.....

विषय :- धारा 13(2) के अन्तर्गत लंबित जन्म-मृत्यु प्रकरण पर अनुमति बाबत ।

संदर्भ :- आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक.....

-----000-----

आवेदक श्री / श्रीमती.....पिता / पति श्री.....

निवासी ग्राम....., तहसील..... जिला..... राज्य..... द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (2) में दिए गए प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीयन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पंजीयन एवं प्रमाण पत्र शुल्क विभागीय शीर्ष में जमा कराकर प्रकरण पंजीकृत करें।

1. जन्म / मृतक का नाम :.....
2. लिंग- पुरुष / महिला :.....
3. पिता का नाम :.....
4. पति / पत्नी का नाम :.....
5. माता का नाम :.....
6. जन्म / मृत्यु स्थान का नाम :.....
7. जन्म / मृत्यु का दिनांक :.....
8. पता (संलग्न करें) :.....

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

एवं

विलम्बित जन्म-मृत्यु का पंजीयन किए
जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र
(जन्म-मृत्यु रजि.अधि. 1969 के धारा 13(2) एवं छ.ग. राजपत्र, अधिसूचना
कं. एफ 4-4/2011/23,वि.यो., दिनांक 16.9.2014 के परिप्रेक्ष्य में)

-----00-----

मै.....पिता/पति.....,उम्र.....निवासी,
.....पो.आ.....तह.....जिला.....राज्य निम्न
कथन करता/करती हूँ :-

1. यहकि (शिशु/मृतक का नाम) का जन्म/मृत्यु दिनांक
को स्थानमें हुआ था/थी।
2. यहकि चूंकि मैंने कानूनी अज्ञानतावश अभी तक जन्म/मृत्यु का पंजीयन दर्ज नहीं
करावाया/करवाई है। मुझे वर्तमान में उक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है,
जिस संबंध में सभी नियम/शर्तें मुझे मान्य है।
3. यहकि उक्त घटना का पंजीयन किसी भी अन्य स्थान/संस्था से नहीं कराया गया है,
और न ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
4. यहकि यह शपथ पत्र मेरे.....का जन्म/मृत्यु का पंजीयन विधिवत दर्ज
कर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हैं।

शपथकर्ता

सत्यापन

मै उक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त
शपथ पत्र की कंडिका 1 से 4 तक में उल्लेखित कथन सही एवं सत्य हैं। जांच
पश्चात् यदि उक्त कथन में असत्यता पाई गई तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं
की होगी। साथ ही शासन द्वारा दिए जाने वाले दण्ड भी मुझे मान्य होंगे।

सत्यापनकर्ता

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13(2) के अधीन विलंबित
जन्म-मृत्यु पंजीयन, किए जाने के उद्देश्य से उक्त शपथ पत्र प्रदाय की जा रही है।

प्रमाणित करने वाले
प्राधिकारी का नाम व मोहर सहित
(ANM/MPW/HEAD MASTER/PRINCIPAL/ AWW)

कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,

जिला छत्तीसगढ़

// आदेश //

....., दिनांक .../.../2014

क्रमांक / / प्रा.स्वा.के. / जन्म-मृत्यु :- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का संख्यांक 18) की धारा 7 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/वियो, दिनांक 08 नवम्बर, 2007 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2011/23, दिनांक 05 जुलाई, 2011 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु मुख्य रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, उप रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त करती है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

सारणी

| स.क्र. (1) | अधिकारी (2) | क्षेत्र (3) |
|---------------|---|---|
| 1. | शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी । | उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृतजन्म के लिए । |

पृ.क्र./ / प्रा.स्वा.के. / जन्म-मृत्यु / 20.....
प्रतिलिपि:-

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी,
को सूचनार्थ प्रेषित ।

रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), एवं
प्रभारी अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), एवं
प्रभारी अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र